National Pension NPS Scheme Details in Hindi PDF

National Pension Scheme Kya hai : आपने बहुत सारे पेंशन प्लान्स केबारे मे सुना होगा एवं सभी पेंशन प्लान का उद्देश्य वृद्धावस्था मे नियमित सैलरी, आर्थिक सुरक्षा व् स्टेबिलिटी प्रदान करता होता है | ये पेंशन और रिटायरमेंट प्लान वृद्धावस्था मे नियमित इनकम बंद होने पर सुनिश्चित करता है की आप स्वाभिमान व् किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी बाकी की जिंदगी ख़ुशी ख़ुशी जी सके | इसी को देखते हुए प्राइवेट कम्पनीज ने बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन प्लान स्टार्ट किये और भारत की सरकार ने NPS शुरू किया | 1999 मे भारत की सरकार ने एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको नाम दिया - OASIS (old age social and income security) | इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वृद्धावस्था मे लोगो को इनकम प्रदान करना था | कुछ समय बाद OASIS रिपोर्ट के आधार पर भारत की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी पेंशन बंद करकेनयी पेंशन योजना NPS शुरू करने की सोची| NPS की फुल फॉर्म National Pension System होती है जिसे कंट्रीब्यूशन फण्ड भी कहा जाता है| इसमे भारत की डिफेन्स फोर्सेज को अलग रखा गया | NPS को लागु करने के लिए साल 2003 मे PFRDA का गठन किया गया | इस कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम को सरकार ने दिसंबर 2003 मे नोटिफाई करके नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) नाम दिया |

National Pension Scheme

NPS एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन स्कीम है जिसको PFRDA की देख रेख मे संचालित किया जाता है | इस स्कीम को शुरू करने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारियों ने ज्वाइन किया उनको सरकारी परमानेंट पेंशन स्कीम से हटा कर, कंट्रीब्यूशन के बेस पर NPS मे लाया गया |

NPS को निचे दिए गए उद्देशयो के साथ स्टार्ट किया गया था -

1. सरकार के ऊपर बढ़ते हुए आर्थिक बोझ से आजादी |
2. सभी सरकारी व् प्राइवेट कर्मचारियों को वृद्धवस्था मे पेंशन लाभ देना |
3. मार्किट और मॅहगाई को देखे हुए लम्बे समय मे इन्वेंस्टमेंट पर अच्छा पैसा दिलवाना |

NPS स्कीम के साथ सरकार ने 2010-11 मे गैर मान्यता प्राप्त सेक्टर मे काम कर रहे लोगो के लिए एक co-contributory पेंशन स्कीम स्वावलम्बन स्कीम स्टार्ट की थी जिसमे अगर कोई पर्सन इस योजना को चुनता है तो भारत की सरकार 1000 Rs हर साल (next three year) के लिए (2011,2012 and 2013) पर्सन के NPS अकाउंट मे कंट्रीब्यूट करती थी | यह फायदा केवल उन लोगो को मिलता था जो की मिनिमम सहयोग 1000 rs या ज्यादा से जयदा 12000 हर साल जमा कराते थे | बाद मे इस स्कीम का नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया जिसके अनुसार कोई भी 40 साल से निचे की उमर् का र्पसन 60 साल की उमर् केबाद 5000 Rs तक की पेंशन पाने का हक़दार होता है |

FAQ -

1. National Pension Scheme कैसे और कहाँ ओपन किया जा सकता है ?
   NPS अकाउंट ओपन करने के लिए सरकार ने ऑथॉरिज़ेड पॉइंट बनाये हुए है जिनको POP कहते है और लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक्स ने POP मे एनरोल किया हुआ है | NPS मे इन्वेस्ट करने के लिए आपको POP के पास जाकर अकाउंट ओपन करना होता है जो की आपको अकाउंट ओपनिंग मे मदद करते है | NPS मे अकाउंट खुलवाने वाले हर इन्वेस्टर को PFRDA एक PRAN नंबर देती है | इसके आलावा अगर आपका डिपार्टमेंट (प्राइवेट या सरकारी) NPS को शुरू करना चाहता है, तो आपको केवल जरुरी कागज आपके एम्प्लायर को देने होते है बाकी का सारा काम वो ही करते है | इसके आलावा आप NPS की website पर जाकर भी NPS account ओपन करने की request कर सकते है - Click here
2. POP क्या होता है एवं NPS मे उनका क्या रोल होता है?
   Points of Presence (POPs) वो एंटिटी है जिससे की अकाउंट ओपन करने वाला पर्सन (सब्सक्राइबर) सबसे पहले मिलता है और अपने सारे प्रश्न पूछ सकता है | POP वो authorized ब्रांचेज है जिनको की सरकार ने आपके अकाउंट को मेन्टेन करने के लिए अधिकृत किया हुआ है | ये सब्सक्राइबर के लिए एक तरह से कलेक्शन पॉइंट्स एवं कस्टमर सर्विसेज होते है जहाँ पर कस्टमर नए अकाउंट ओपन करने के साथ बाकि सभी प्रकार की जानकारी ले सकता है |
3. सरकार की तरफ से अधिकृत POP की जानकरी कहाँ से ले जा सकती है?
   PFRDA की वेबसाइट से - यहाँ क्लिक करे
4. NPS अकाउंट ओपन करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट क्या होते है ?
   1. सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर

2. ID प्रूफ
3. एड्रेस प्रूफ
4. नम प्रमाण पत्र
5. आधार नंबर

5. National Pension Scheme अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है : कोई भी भारतीय नागरिक NPS को निचे दी गयी कंडीशन पर ले सकता है (NRI भी)
   1. नागरिक की उम्र 18 से 60 के बिच होनी चाहिए|
   2. NPS मे दिए गए KYC की सारी शर्तो को पूरा करना चाहिए|
6. NPS एकाउंट्स कितने प्रकार के होते है : NPS मे कोई भी इन्वेस्टर दो तरह के एकाउंट्स ओपन कर सकता है - Tier I and Tier II | Tier I अकाउंट को पेंशन अकाउंट भी कहा जाता है क्योकि इसमें जमा होने वाला अमाउंट को 10 साल या फिर 60 की age (जो भी पहले हो) से पहले विदड्रा नहीं किया जा सकता जबकि Tier II को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते है क्योकि पूरी तरह से वोलंटरी विदड्रा अकाउंट होता है | Tier I अकाउंट मे कम से कम 6000 Rs साल को कंट्रीब्यूट करना होता है (500 rs min per transaction) जबकि tier 2 मे अकाउंट ओपनिंग के लिए कम से कम 1000 rs एंड बाद मे आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते है (250 rs min per transaction) उसकी कोई लिमिट नहीं होती | लेकिन Tier II account वो ही ओपन कर सकता है जिसके पास पहले से ही एक्टिव Tier I अकाउंट होता है | अगर सब्सक्राइबर tier 1 एंड tier 2 अकाउंट एक साथ ओपन करता है तो उसको 500 + 1000 rs जमा करना जरुरी होता है |
7. कंट्रिब्युशन अमाउंट जमा करने के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? कंट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसी के लिए कोई लिमिट नहीं है | सब्सक्राइबर चाहे तो मंथली, क्वाटर्ली, हाफ इयरली और इयरली अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है | इसके साथ सब्सक्राइबर चाहे तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट कभी भी कम या ज्यादा कर सकता है |
8. NPS मे कितने तरह के फण्ड होते है? NPS मे तीन तरह के फण्ड होते है - इक्विटी, कॉर्पोरेट बांड एवं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज | सब्सक्राइबर 50 % से ज्यादा इक्विटी मे इन्वेस्ट नहीं कर सकता जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मे 100 % तक इन्वेस्ट कर सकता है|
9. क्या मे ये चुन सकता हूँ की मुझे किस फण्ड मे कितना allocate करना है? NPS मे इन्वेस्ट करते वक़्त आपके पास दो options होते है - एक्टिव एंड ऑटो चॉइस | एक्टिव चॉइस मे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता ही की वो ये चुन सके की equity, कॉर्पोरेट बांड एवं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मे कितना इन्वेस्ट करना है

लेकिन इक्विटी मे 50 % से जयदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता | Active चॉइस मे साल मे दो बार इन्वेस्टर अपना फण्ड एलोकेशन बदल सकता है | Auto choice मे तीन फण्ड मे कितना इन्वेस्ट होगा यह सब्सक्राइबर की age पर निर्भर करता है और सब्सक्राइबर की आगे के हिसाब से फण्ड इन्वेस्ट होता है|

10. क्या इन्वेस्टर एक्टिव व् ऑटो चॉइस मे स्विच कर सकता है?
हाँ, एक फाइनेंसियल ईयर मे दो बार स्विच कर सकता है |
11. क्या NPS मे मिलने वाले रिटर्न पर कोई गारंटी मिलती है?
नहीं, यह मार्किट लिंक्ड फण्ड होता है इसलिए आपके इन्वेस्ट किये गए अमाउंट पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से मार्किट की परफॉरमेंस पर निर्भर करता है |
12. PRAN खो जाने के केस मे क्या करना होगा?
अगर आपका PRAN कार्ड खो या डेमेज हो जाता है तो आप POP के पास फॉर्म भरकर करके डुप्लीकेट PRAN कार्ड के लिए apply कर सकते है |
13. क्या NPS अकाउंट मे लोन लिया जा सकता है ?
नहीं |
14. National Pension Scheme प्लान मे इन्वेस्ट करने के क्या टैक्स बेनिफिट होते है?
अगर एम्प्लोयी आपका कंट्रीब्यूट डिपाजिट करता है तो आपकी महीने की बेसिक सैलरी + DA का 10%, 80CCD(2) मे टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है |
अगर एम्प्लोयी और इंडिविजुअल खुद National Pension Scheme कंट्रीब्यूट करता है तो 80CCD(1B) मे साल के 50000 तक या फिर बेसिक सैलरी + DA का 10 % जो भी कम हो वो टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है |
Note - यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है की टैक्स फायदे केवल tier 1 account मे ही मिलता है |
15. क्या टैक्स बेनिफिट केवल सैलरी एम्प्लोयी के लिए होता है?
नहीं | Section 80CCD (1) मे मिलने वाला बेनिफिट सैलरी एम्प्लोयी के साथ नॉन सैलरी पर्सन को भी मिल सकता है |
16. क्या tier 1 अकाउंट मे कुछ पैसा निकला जा सकता है?
हाँ | Tier 1 अकाउंट ओपनिंग के 10 साल बाद, जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसका 25 % निकला जा सकता है | पहली बार पैसे निकलने के 5 साल बाद, 2 बार और पैसा निकला जा सकता है लेकिन पैसे निकलने के लिए कुछ शर्ते होती है जैसे की बच्चो की शादी, उच्च शिक्षा, गंभीर बिमारी आदि |

- National Pension Scheme से कब बाहर निकला जा सकता है?
अकाउंट ओपनिंग के 10 साल बाद या 60 साल की उम्र जो भी पहले हो तब आप

अकाउंट से एग्जिट कर सकते है | अगर आप 60 साल की उम्र से पहले एग्जिट कर रहे है तो पुरे अमाउंट का केवल 20 % अमाउंट ही निकाल सकते है और शेष बचा अमाउंट annuity मे इन्वेस्ट हो जायेगा लेकिन अगर आपका कुल अमाउंट 1 लाख से कम है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते है | दूसरा केस - आप 60 साल की उम्र के बाद exit करते है तो आप केवल 60 % अमाउंट ही निकाल सकते है बाकी अमाउंट annuity मे इन्वेस्ट हो जायेगा लेकिन अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है तो पूरा अमाउंट विदड्रा किया जा सकता है | एक बात और ध्यान देने की है की अगर सब्सक्राइबर 60 की उम्र के बाद भी अपना अमाउंट नहीं लेना चाहे तो वो 70 की उम्र तक 10 installment मे अपना अमाउंट ले सकता है |

- NPS Maturity Rule:
  NPS स्कीम मे 60 की उम्र मे रिटायरमेंट माना जाता है इसलिए ही 60 की उम्र पर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते है | जैसे ही आपकी उम्र 60 की होगी आप 40% अमाउंट निकल सकते है जो की टैक्स फ्री होता है एंड बाकी का 60% अमाउंट annuity मे इन्वेस्ट हो जाता है जिससे आपकी मंथली पेंशन बनती है | लेकिन monthly पेंशन पर टैक्स रूल के हिसाब से टैक्स देना होगा | अगर आप 60 की उम्र पर 60% अमाउंट निकलते है (जो की मैक्सिमम लिमिट) तो आपको टैक्स 40% से ऊपर के अमाउंट पर टैक्स देना होगा | इसका मतलब 40% तक का अमाउंट टैक्स फ्री है |
- विदड्रा अमाउंट के ऊपर टैक्स -
  अगर 40 % अमाउंट निकलते है तो वो पूरा टैक्स फ्री है | इसके आलावा annuity मे इन्वेस्ट किया हुआ बाकी के अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि NPS अमाउंट से बनने वाली पेंशन पर टैक्स - Rule के हिसाब से लगेगा |
- अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाते है तो अमाउंट किसको दिया जागेगा ?
  इस केस मे जो भी लीगल नॉमिनी होगा उसको पूरा अमाउंट दे दिया जाता है | इसके लिए नोमिने को POP के पास रिक्वेस्ट करनी होती है |